

# मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू



## एमसीआईआर



खंड XX

अंक 6

सितंबर 2024



## I. विनियमन

### लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के बोर्ड के निदेशकों के लिए बैंगलुरु में सम्मेलन आयोजित किया गया

रिजर्व बैंक ने 27 सितंबर 2024 को लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के बोर्ड के निदेशकों के लिए बैंगलुरु में एक सम्मेलन आयोजित किया। श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर द्वारा उद्घाटित यह कार्यक्रम "एसएफबी में सुशासन - धारणीय संवृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना" विषय पर केंद्रित था और यह उन पर्यवेक्षी सहभागिताओं की श्रृंखला का हिस्सा है जिसे रिजर्व बैंक अपनी पर्यवेक्षित संस्थाओं के बोर्ड के साथ आयोजित करता रहा है। सार्वजनिक थेट्र के बैंकों और निजी थेट्र के बैंकों के लिए इसी तरह के सम्मेलन मई 2023 में तथा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए अगस्त 2023 और जून 2024 में आयोजित किए गए थे।

इस कार्यक्रम में रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशकों श्री एस सी सुर्य, श्री रोहित जैन और श्री आर एल के राव के साथ-साथ पर्यवेक्षण, विनियमन और प्रवर्तन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अपने सुख्य भाषण में, उप गवर्नर ने एसएफबी को धारणीय संवृद्धि और स्थिरता की ओर ले जाने में सुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने निदेशकों से जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने में सक्रिय होने का आग्रह किया, साथ ही टिकाऊ व्यापार मॉडल के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल खतरों के विश्वदृष्टि साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए वित्तीय समावेशन, ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया।

इस सम्मेलन में वरिष्ठ आरबीआई अधिकारियों द्वारा संचालित तकनीकी सत्र शामिल थे, जिनमें 'सुशासन और आश्वासन कार्य', 'व्यावसायिक जोखिम - विनियमक और पर्यवेक्षी अपेक्षाएं' और 'आईटी प्रणाली और साइबर सुरक्षा' जैसे विषय शामिल थे। एक बाह्य विशेषज्ञ ने "बैंकों में बोर्ड का आचरण" पर एक व्याख्यान दिया, जिसके बाद "एसएफबी की संभावनाएँ और चुनौतियाँ" पर चयनित एसएफबी के स्वतंत्र निदेशकों के साथ एक पैनल चर्चा हुई। कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों और रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशकों के बीच एक खुले विचार-विशेष सत्र के साथ हुआ। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

## पंजीकरण प्रमाणपत्र

13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अध्यर्थण किया है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके सीओआर को निरस्त कर दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

रिजर्व बैंक ने 13 सितंबर 2024 को चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को निरस्त करने की सूचना दी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने सीओआर को निरस्त किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

## स्वर्ण ऋण - स्वर्ण आभूषणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण देने में अनियमितताएं कमियां पाई गई

रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर 2024 को स्वर्ण आभूषणों और गहनों के सापेक्ष ऋण के लिए विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा और चुनिंदा पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की आँनसाइट जांच करने के बाद, कई अनियमित पद्धतियों की पहचान की, जिसमें ऋण प्राप्त करने और उसका मूल्यांकन करने में तीसरे पक्ष की सहभागिता, स्वर्ण के मूल्यांकन की अनुचित प्रक्रिया, अपर्याप्त समुचित सावधानी, नीलामी में पारदर्शिता की कमी, ऋण-से-मूल्य अनुपात की खराब निगरानी और गलत जोखिम-भार लागू करना शामिल हैं। एसई को सूचित किया गया है कि वे इन कमियों की तुरंत समीक्षा करें और उन्हें सुधारें, आउटसोर्स की गई गतिविधियों पर नियंत्रण को मजबूत करें और अपने स्वर्ण लोन पोर्टफोलियो पर बारीकी से निगरानी करें। अननुपालन के परिणामस्वरूप पर्यवेक्षी कार्रवाई की जाएगी, इसकी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर रिजर्व बैंक को दी जाए। चुनिंदा एसई में स्वर्ण ऋण की समीक्षा के दौरान कमियां पाई गईं

रिजर्व बैंक ने फिनेटेक संस्थाओं और कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) के साथ साझेदारी के माध्यम से दिए गए स्वर्ण ऋणों में कई अनियमितताएं पाईं, जिनमें अनुचित मूल्यांकन पद्धतियाँ, अपर्याप्त एलटीवी निगरानी, केवाईसी मानदंडों का अननुपालन और असुरक्षित स्वर्ण भंडारण शामिल हैं। अन्य मद्दों में गैर-कृषि ऋणों के लिए अंतिम उपयोग सत्यापन की कमी, नए मूल्यांकन के विना टॉप-अप ऋणों का अनुचित परिचालन, कम नीलामी वसूली मूल्य, सांविधिक सीमाओं के उल्लंघन में उच्च नकद सवितरण, कमज़ोर अभिशासन, ऋणों का सदाबहारीकरण और अतिदेय ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत न करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एसई ने तीसरे पक्ष की संस्थाओं पर अपर्याप्त निगरानी और नियंत्रण रखा, जिससे पारदर्शिता और अनुपालन संबंधी चिंता उत्पन्न हुई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।



## संपादक की कलम से

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के सितंबर 2024 संस्करण में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक की यह मासिक आवश्यक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिजर्व बैंक द्वारा माह के दौरान किए गए नए गतिविधियों और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। संवाद के इस माध्यम से सूचनाएँ साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सुचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे। एमसीआईआर को <https://mcir.rbi.org.in> पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

हम आपकी प्रतिक्रिया का [mcir@rbi.org.in](mailto:mcir@rbi.org.in) पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली  
संपादक

खंड XX

अंक 6

## भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 610वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 610वीं बैठक 4 सितंबर 2024 को मुंबई में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य और संभावना की समीक्षा की, जिसमें संबंधित चुनौतियाँ भी शामिल थीं। बोर्ड ने स्थानीय बोर्डों के कामकाज और चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक के परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों की भी समीक्षा की।

उप गवर्नर डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रवी शंकर और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक - श्री सतीश के. मराठे, श्रीमती रेवती अच्युत, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री वेणु श्रीनिवासन, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. ठोलकिया ने बैठक में भाग लिया। श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और श्री नागराजू मद्दीराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग ने भी बैठक में भाग लिया।

## पोत-लदान (शिपमेंट) पूर्व और पश्चात रूपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)

रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2024 को घोषणा की कि भारत सरकार ने 31 अगस्त 2024 के व्यापार नोटिस सं. 16/2024-2025 और 17 सितंबर 2024 के संब्या 17/2024-2025 के माध्यम से एमएसएमई निर्माता निर्यातकों के लिए पोत-लदान पूर्व और पश्चात रूपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना को 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। यह विस्तार विशेष रूप से एमएसएमई निर्माता निर्यातकों पर लागू होता है, जिसमें 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रति आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) ₹5 करोड़ की सीमा और ₹10 करोड़ की कुल वार्षिक सीमा है। गैर-एमएसएमई निर्माता और व्यापारी निर्यातकों के लिए, 30 जून 2024 तक प्रति आईईसी ₹2.5 करोड़ की सीमा बनी हुई है। पिछले अनुदेशों के अनुसार योजना के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

बीएनपी परिवस	₹31.80 लाख
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	₹23.10 लाख
मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड	₹ 7.90 लाख
हेवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	₹10.40 लाख
लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	₹3.00 लाख
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अनंतनाग	₹ 5.00 लाख
दि बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना	₹1.50 लाख
दि सूरत पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत	₹61.60 लाख

## III. विदेशी मुद्रा

### निवासी व्यक्तियों के लिए एलआरएस - मासिक विवरणी की रिपोर्टिंग को बंद करना

रिज़र्व बैंक ने 6 सितंबर 2024 को उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) की समीक्षा की और एडी श्रेणी-। बैंकों द्वारा एलआरएस मासिक विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया। तदनुसार, सितंबर 2024 के रिपोर्टिंग महीने से, एडी श्रेणी-। बैंक एलआरएस मासिक विवरणी (विवरणी कोड: R089) प्रस्तुत नहीं करेंगे। एडी श्रेणी-। बैंकों को अब से अगले कार्य दिवस के कारोबार के अंत में सीआईएमएस (यूआरएल: <https://sankalan.rbi.org.in>) पर एलआरएस दैनिक विवरणी (सीआईएमएस विवरणी कोड: R010) के अंतर्गत केवल लेन-देन-वार जानकारी अपलोड करने की आवश्यकता होगी। यदि कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया जाना है, तो एडी श्रेणी-। बैंक 'शून्य' रिपोर्ट अपलोड करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

## IV. सरकार का ऋण प्रबंधक

### अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033

रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2024 को भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033 (जीओआई एफआरबी 2033) पर 22 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 की छमाही के लिए लागू ब्याज दर की घोषणा की। घोषणा के अनुसार, जीओआई एफआरबी 2033 की ब्याज दर 7.93 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

## एफएसडीसी उप-समिति की 31वीं बैठक

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति की बैठक 5 सितंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैठक की अध्यक्षता की।

उप-समिति ने प्रमुख वैश्विक और घरेलू समस्याएँ आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों तथा भारतीय क्षेत्र में अंतर-विनियामक समन्वय से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। सदस्यों ने वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित जोखिमों के बारे में अपने आकलन साझा किए और विभिन्न मुद्दों, जिनका वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है, पर चर्चा की। उप-समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी समूहों की गतिविधियों और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज की भी समीक्षा की। एफएसडीसी-एससी ने अंतर-विनियामक समन्वय के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र की आधार-सहनीयता में सुधार लाने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लिया, साथ ही अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के लिए उभरती चुनौतियों, जिनमें वैश्विक प्रभाव-विस्तार, साइबर खतरे और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं, के प्रति सतर्क रहने का भी संकल्प लिया।

बैठक में उप-समिति के सदस्यों, सुश्री माधवी पुरी बुच, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनियम वोर्ड (सेबी); श्री देवाशीष पंडा, अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई); डॉ. दीपक मोहनी, अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए); श्री के. राजारमन, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए), श्री एस. कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, राजस्व विभाग; सुश्री दीपि गौर मुखर्जी, सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय; श्री नागराजू मद्दिराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग; डॉ. शशांक सक्सेना, सचिव, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद; भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर - डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रवी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे. और डॉ. ओ. पी. मल्ल, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने भाग लिया।

### अर्थोपाय अग्रिम सीमा

भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही (अक्टूबर 2024 – मार्च 2025) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹50,000 करोड़ होगी।

जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी तब बैंक नए बाजार रुपों को जारी कर सकता है। आगे, मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक, भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय, सीमा को संशोधित करने की छूट अपने पास रखता है। डब्ल्यूएमए और ओवरड्राफ्ट पर व्याज दर क्रमशः रेपो दर और रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

### भारत सरकार के खजाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर

रिजर्व बैंक ने 26 सितंबर 2024 को भारत सरकार (जीआआई) के परामर्श से और केंद्र सरकार की नकदी स्थिति की समीक्षा के बाद दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए खजाना बिल के निर्गम संबंधी कैलेंडर अधिसूचित किया। तिमाही के लिए कुल अधिसूचित राशि ₹2,47,000 करोड़ है।

इसके अलावा, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खजाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना प्रकाशन है, जो राष्ट्रीय आय, मूल्य, धन, बैंकिंग, वित्तीय बाजार, देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने के बार्जनिक वित्त, विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन जैसे समस्याएँ के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

### विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए कैलेंडर

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही (01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025) के लिए सौंवर्ण हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) सहित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु सांकेतिक कैलेंडर अधिसूचित पत्रिका है। इस अंक में तीन आलेख और तीन पुस्तक समीक्षाएँ हैं। किया। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, नीलामी लेख: i) सीमा पार पूंजी प्रवाह और अचानक रुकावटें: उभरती अधिसूचना में दर्शाई गई प्रत्येक प्रतिभूति के लिए ₹2000 करोड़ तक बाजार अर्थव्यवस्थाओं से सीधी ii) कुल कारक उत्पादकता माप में का अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने के लिए ग्रीन-शू विकल्प का प्रचलित वित्तीयता: भारत केप्लाईएमएस डेटा का विश्लेषण iii) समस्या

उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कुल अधिसूचित राशि ₹6,61,000 करोड़ है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

### V. मुद्रा जारीकर्ता

#### ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना

रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2024 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति जारी की। आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक संचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य घटकर ₹7117 करोड़ रह गया। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों में से 98 प्रतिशत वापस आ चुके हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

### VI. प्रकाशन

#### भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका (हैंडबुक)

रिजर्व बैंक ने 13 सितंबर 2024 को 'भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका, 2023-24' शीर्षक से अपना वार्षिक प्रकाशन जारी किया। यह प्रकाशन, शुंखला का 26वाँ अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना प्रकाशन है, जो राष्ट्रीय आय, मूल्य, धन, बैंकिंग, वित्तीय बाजार, देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने के बार्जनिक वित्त, विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन जैसे समस्याएँ के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

#### भारतीय रिजर्व बैंक - समसामयिक पत्र - खंड 44, संख्या 2, 2023

भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर 2024 को अपने समसामयिक पत्रों का खंड 44, संख्या 2, 2023 जारी किया, जो उसके स्टाफ-सदस्यों के योगदान द्वारा तैयार की गई एक शोध दिनांकित पत्रिका है। इस अंक में तीन आलेख और तीन पुस्तक समीक्षाएँ हैं। किया। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, नीलामी लेख: i) सीमा पार पूंजी प्रवाह और अचानक रुकावटें: उभरती अधिसूचना में दर्शाई गई प्रत्येक प्रतिभूति के लिए ₹2000 करोड़ तक बाजार अर्थव्यवस्थाओं से सीधी ii) कुल कारक उत्पादकता माप में का अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने के लिए ग्रीन-शू विकल्प का प्रचलित वित्तीयता: भारत केप्लाईएमएस डेटा का विश्लेषण iii) समस्या

विवेकपूर्ण नीति और भारत में संवृद्धि पर इसके अंतिम प्रभाव। आरबीआई समसामयिक पत्र में आरबीआई के अधिकारियों द्वारा लिखी गई तीन व्यावहारिक पुस्तक समीक्षाएँ शामिल हैं।

- एरिक एंग्र द्वारा लिखित पुस्तक 'हाउ इकोनॉमिक्स कैन सेव द बल्ड' जो प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के लिए व्यावहारिक, साक्ष्य-आधारित समाधान प्रस्तुत करती है, तथा जीवन के विविध पहलुओं में अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता पर बल देती है।
- गैविन जैक्सन द्वारा लिखित पुस्तक 'मनी इन वन लेसन' में धन की अवधारणा, इसके ऐतिहासिक विकास, तथा अर्थव्यवस्थाओं और दैनिक जीवन पर सरकारों और केंद्रीय बैंकों के प्रभाव पर चर्चा की गई है।
- चार्ल्स का युई लेउंग द्वारा संपादित "हैंडबुक ऑफ रियल एस्टेट एंड मैक्रोइकॉनॉमिक्स", स्थावर संपदा और समष्टि-आर्थिक कारबों के बीच परस्पर क्रिया के अपने व्यापक मूल्यांकन पर प्रकाश डालती है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

## शोध पत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परियोजना अनुसंधान अध्ययन के अंतर्गत अपनी वेबसाइट पर 'लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह में डिजिटल वित्तीय साक्षरता की स्थिति: बाधाएँ एवं भावी योजना' शीर्षक से एक अनुसंधान अध्ययन प्रकाशित किया। यह अध्ययन डिजिटल वित्तीय साक्षरता और डिजिटल वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के लिए लक्ष्यद्वीप के सभी दस आवादी वाले द्वीपों-अगरती, अमिनी, एंड्रोट, वितरा, चेटलाट, कदमत, कल्पेनी, कवरती, किल्टान और मिनिकॉय, से एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। यद्यपि सर्वेक्षण में गणना की प्राथमिक इकाई परिवार थे, तथापि द्वीपों में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, बैंक कर्मचारियों, स्कूल प्राधिकारियों, छात्रों और व्यापारियों का भी साक्षात्कार लिया गया।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- सर्वेक्षण किए गए द्वीपों में सभी व्यक्तिगत उत्तरदाताओं ने बैंक जमा खातों के एक्सेस की सूचना दी।
- यद्यपि बैंक जमा खातों के एक्सेस में कोई लैंगिक अंतर नहीं था, फिर भी सामान्य रूप से बैंकिंग आदतों, विशेषकर जमा खातों के उपयोग के संबंध में पुरुषों और महिलाओं के बीच काफी अंतर था।
- न केवल मूलभूत साक्षरता बल्कि डिजिटल साक्षरता भी, जिसका मूल्यांकन मोबाइल फोन और कंप्यूटर रखने के साथ-साथ उपयोग करने की क्षमता के संदर्भ किया गया था, सर्वेक्षण उत्तरदाताओं के बीच काफी अधिक पाया गया।
- द्वीप समूह में एंटोमेटेड टेलर मशीनें (एटीएम) डिजिटल बैंकिंग के सर्वाधिक लोकप्रिय उपयोग किए जाने वाले साधन थे। द्वीप समूह के लगभग 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास एटीएम कार्ड थे जबकि 80 प्रतिशत ने इन कार्डों के वास्तविक उपयोग की सूचना दी।
- वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता के उच्च स्तर के बावजूद, द्वीप समूह में डिजिटल वित्तीय समावेशन की दिशा में एक प्रमुख अवरोध खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी था; उत्तरदाताओं ने डिजिटल लेनदेन की विफलताओं के बारे में आशंका व्यक्त की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

## आरबीआई बुलेटिन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2024 को अपने मासिक बुलेटिन का सितंबर 2024 अंक जारी किया। बुलेटिन में ग्यारह भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। उक्त चार आलेख निम्नानुसार हैं-

- अर्थव्यवस्था की स्थिति वैश्विक आर्थिक गतिविधि धीमी हो रही है, जबकि मुद्रास्फीति की गति सुस्त बनी हुई है, जिससे मौद्रिक नीति प्राधिकरणों में सरक्ता बढ़ रही है। भारत में, घरेलू चालक - नियी खपत और सकल स्थिर निवेश - मजबूत थे और शुद्ध नियांत्रक्रियक रूप से सकारात्मक रहे, जिससे 2024-25 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद

(जीडीपी) की संवृद्धि को समर्थन मिला। कृषि के खराब प्रदर्शन की भरपाई विनिर्माण क्षेत्र में तेजी और लचीली सेवाओं से हुई। घरेलू खपत दूसरी तिमाही में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आई है, साथ ही ग्रामीण मांग में भी सुधार हुआ है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अगस्त में लगातार दूसरे महीने रिज़र्व बैंक के लक्ष्य से नीचे रही, हालांकि हाल के अनुभव के मद्देनजर खाद्य कीमतों में उत्तर-चंडाव एक आकस्मिक जीविम बना हुआ है।

ii) भारतीय राज्यों के व्यापार चक्र का समन्वय भारतीय राज्यों की विशिष्ट आर्थिक विशेषताओं को देखते हुए, यह शोधपत्र भारतीय राज्यों के संवृद्धि की गतिकी तथा व्यापार चक्रों की सह-गति की प्रकृति का पता लगाता है। बैंकस्टर-किंग (बी-के) बैंड-पास फिल्टर और अनऑब्जर्व कंपोनेंट मॉडल (यूसीएम) का उपयोग करके प्रियले चार दशकों में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय चक्रों के समन्वय का विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा, व्यापार चक्र समन्वय पर राज्यों की भौगोलिक निकटता और आर्थिक संरचना के प्रभाव की जांच प्रतिगमन ढांचे के माध्यम से की गई है।

iii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार: भारतीय अनुभव भारत में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) का उपयोग अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद क्षेत्रों को सीधे ऋण देने के लिए नीति मध्यस्थेप उपकरण के रूप में किया गया है। यह आलेख मार्च 2006 से मार्च 2023 तक बैमासिक बैंक-संस्तीय डेटा का उपयोग करके ऐसे ऋणों की व्यावसायिक व्यवहार्यता और बैंकों के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करता है।

iv) गहन विश्लेषण: हाल के समय में एनबीएफसी क्षेत्र की समीक्षा यह आलेख पर्यवर्ती डेटा का उपयोग करके 2023-24 (तीसरी तिमाही तक) में हाल ही में स्केल आधारित विनियमन (एनबीआई) ढांचे की पृष्ठभूमि के सापेक्ष एनबीएफसी क्षेत्र के कार्य-निष्पादन का आकलन करता है। यह भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक गैर-स्कूल प्राधिकारियों, छात्रों और व्यापारियों का भी साक्षात्कार लिया गया। इसके अतिरिक्त, यह आलेख भारत के एनबीएफसी क्षेत्र से संबंधित विनियामक ढांचे के विकास का विवरण देता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

## VII. जारी आंकड़े

सितंबर 2024 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम सं	शीर्षक
1	शुक्रवार, 06 सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	अगस्त 2024 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
3	अनुसूचित बाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें - सितंबर 2024
4	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन - अगस्त 2024
5	भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), जून 2024
6	अगस्त 2024 माह के लिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार
7	जून 2024 के अंत में भारत का बाह्य ऋण
8	अप्रैल-जून 2024 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत
9	जुलाई 2024 के लिए ईसीबी / एफसीसीबी / आरडीबी पर डेटा